कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) छत्तीसगढ़

क्रमांक / 255 / स्था0 / 2016

बैकुण्ठपुर, दिनांक 7/10/2016

—: आदेश :—

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रायपुर के अधिसूचना कमांक/एफ–161/ 2001 /नौ/55/रायपुर, दिनांक 09.09.2011 में दिये दिशा निर्देष के परिपालन एवं वर्ष 2016–17 हेतु पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु जारी विज्ञापन में दिये गये निर्देषो के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति के अनुशंसा पर निम्नांकित अभ्यार्थियों का चयन शासकीय पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 हेतु अक्टूबर 2016 से प्रारम्भ होने वाले सत्र के लिये चयनित किया जाता है।

क0	चयनित अभ्यार्थी का नाम	पिता का नाम	चयनित वर्ग	निवास का पता
1	श्री दर्शन गिरी	श्री रामचन्द्र गिरी	अनारक्षित	ग्राम भैंसवार पो0 रजौली, कोरिया छ0ग0
2	श्री देवशंकर	स्व0 श्री अर्जुन	अजजा	ग्राम सरईगहना पो0 बैकुण्ठपुर, कोरिया छ0ग0
3	श्री अजित कुमार लकड़ा	श्री धुंजूराम	अजजा	चिरमिरी बरतुंगा पारसपानी , कोरिया छ0ग0
4	श्री गौतम प्रसाद	श्री मोतीराम	अजजा	ग्राम तोलगा पो. बचरापोडी तह. खडगवंवा, कोरिया छ0ग.
5	श्री आकाश सिंह	श्री सुरेश कुमार सिंह	अजजा	वार्ड न 3 बडेझुमरपारा पो0 पटना,कोरिया छ0ग0
6	श्री मदनेश्वर प्रसाद राजवाडे	श्री लाल साय राजवाडे	अपिव	ग्रा0पो0 डुमरिया नाका तलवापारा वि0ख0 बैकुण्ठपुर जिला कोरिया
7	श्री राजू राम बैगा	स्व0 श्री हरिलाल बैगा	अजजा (सेवारत कर्मचारी)	वार्ड न. 19 मोहन्ती कालोनी जामपारा बैकुण्ठपुर जिला कोरिया

नियुक्ति की शर्ते :–

1. प्रशिक्षण दिनांक 10.10.2016 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। चयनित अभ्यार्थी को अपनी उपस्थिति प्रचार्य, पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रषिक्षण केन्द्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 कार्यालय में दिनांक 15.10.2016 तक अनिवार्य रूप से देवें। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित नहीं देने पर चयन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
2. प्रशिक्षण सत्र की कालावधि एक वर्ष की होगी एवं प्रशिक्षण के समय शिष्यवृत्ति समय– समय पर शासन के निर्देशानुसार देय होगी।
3. प्रशिक्षण में उपस्थित होंने के समय समस्त शैक्षिणिक योग्यता संबंधी प्रमाण – पत्र, जाती प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी।
4. प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित होने के पूर्व चयनित अभ्यार्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति होने के लिये अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

6. चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के उपरांत शासकीय सेवा में नियुक्ति दिया जाना शासन के लिये बंधनकारी नहीं होगी।
7. प्रशिक्षण के दौरान 85 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगा। निर्धारित सीमा से कम उपस्थिति होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिया जावेगा।
8. प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने पर अनिवार्य रूप से छात्रावास में रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
9. चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केन्द्र के समस्त नियमें का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं पाये जाने पर नियमानुसार शिष्यवृत्ति के रूप में भुतगतान की गई राशि की वसूली भू– राजस्व के नियमों के अनुरूप की जावेगी।
10. प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित होने के पूर्व समस्त उल्लेखित शर्तो को अनुबंध पत्र में निष्पादित करना होगा।
11. आरक्षित वर्ग के पद हेतु जिन आवेदको के द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र दो माह के भीतर जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय अवधि में प्रनाण पत्र जमा नहीं होने पर चयन निरस्त की कार्यवाही की जा सकती है।
12. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण हेतु चयन में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला कोरिया(बैकुन्ठपुर)छत्तीसगढ़

पृ0कमांक/3194/स्था0/2016
बैकुण्ठपुर, दिनांक 7/10/2016

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ रायपुर।
2. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ0ग0।
3. कलेक्टर, जिला कोरिया छ0ग0।
4. राज्य कार्यकम अधिकारी (प्रशिक्षण) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर छ0ग0।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, संभाग – सरगुजा छ0ग0।
6. वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन रायपुर छ0ग0।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सरगुजा छ0ग0।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला कोरिया छ0ग0।
9. प्राचार्य, शासकीय पुरूष बहुउदे्दशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0
10. जिला विज्ञान सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, जिला कोरिया की ओर इस आशय से लेख है कि जिले के वेबसाइट पर चयन सूची अपलोड करनें का कष्ट करें
11. सर्व संबंधित श्री .... की ओर पालनार्थ/ सूचनार्थ।
12. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय।
13. नस्ती फाईल/ आदेश फाईल / व्यक्तिगत नस्ती।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला
कोरिया(बैकुन्ठपुर)छत्तीसगढ़